फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री जयवंत पिता नरेन्द्र कुमार भेरविया निवासी 29, महावीर नगर, न्यू भूपालपुरा, उदयपुर जिला उदयपुर

— अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द

— रेस्पोण्डेंट

किस्म मुकदमा— अपील सूचना का अधिकार **पत्रावली संख्या 32/2019**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 20.08.2019

अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द जिला राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द द्वारा जरिये पत्रांक 2019/1205 दिनांक 09.08.2019 से प्राप्त रिपोर्टानुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 06.06.2018 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन कर बिन्दु सं0 ए,बी,सी, से सूचना चाही गई। सूचना के संबंध में प्रार्थी द्वारा पत्राचार कर उक्त बिन्दुओं की सूचना चाही गई जिसके संबंध में उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द द्वारा भी प्रार्थी को लिखा गया तथा प्रार्थी द्वारा प्रथम अपील भी की गई जिसका निर्णय भी हुआ, निर्णय की पालना में भी सूचना भिजवाई गई उक्त सब बातों के होते हुए भी प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा दिनांक 14.05.2019 को जरिये रजिस्टर्ड पत्र भिजवाया गया जिसके क्रम में प्रार्थी को जरिये पत्रांक 976–77 दिनांक 20.06.2019 को जवाब व सूचना प्रेषित की गई। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना निम्नानुसार है।

ए– प्रकरण संख्या 353/13 अनवान अंजना बनाम पुरूषोतम व अन्य जिसमे तारीख पेशी दिनांक 13.09.2013 को नियत रहीं थी, के मामले में सम्पूर्ण आदेशिका की प्रति। प्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड कार्यालय पत्रांक 976–77 दिनांक 20.06.2019 से प्रेषित की जा चुकी हैं।

बी-- सितम्बर 2013 में प्रस्तुत वाद जिसका अनवान अंजना बनाम पुरूषोतम व अन्य हैं एवं जिसमे तारीख पेशी दिनांक 13.09.2013 को नियत रहीं थी, के मामले में सम्पूर्ण आदेशिका की प्रति। प्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड कार्यालय पत्रांक 976–77 दिनांक 20.06.2019 से प्रेषित की जा चुकी हैं।

सी– सितम्बर 2013 में प्रस्तुत वाद जिसका अनवान अंजना बनाम पुरूषोतम व अन्य हैं एवं जिसमे तारीख पेशी दिनांक 13.09.2013 को नियत रहीं थी, के मामले में सम्पूर्ण आदेशिका की प्रति। प्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड कार्यालय पत्रांक 976–77 दिनांक 20.06.2019 से प्रेषित की जा चुकी हैं।

यह प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक 976–77 दिनांक 20.06.

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

2019 से वांछित बिन्दु संख्या ए, बी, सी से जो सूचना चाही गई थी। वह सभी सूचना अभिलेख पर उपलब्ध अनुसार प्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड निःशुल्क प्रेषित की जा चुकी है। फिर भी प्रार्थी को भिजवाई गई सूचना से यदि प्रार्थी संतुष्ठ नही हो तो प्रार्थी स्वयं उपखण्ड कार्यालय राजसमन्द में उपस्थित होकर ए,बी,सी, की चाही गई सूचना के संबंध में कार्यालय के अभिलेख का अवलोकन कर अपनी संतुष्टि के उपरान्त यदि उक्त बिन्दुओ से संबंधित और कोई सूचना चाहे तो वह ले सकता हैं।

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द द्वारा प्रार्थी / अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड कार्यालय पत्रांक 976-77 दिनांक 20.06.2019 से वांछित सूचना प्रेषित की जा चुकी हैं। फिर भी अपीलार्थी यदि उक्त वांछित सूचना से संतुष्ठ नही हो तो अपीलांट स्वयं उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द के कार्यालय में उपस्थित होकर रेकार्ड पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन कर सूचना प्राप्त कर सकता हैं, साथ ही और कोई सूचना दिया जाना शेष नही होने से उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द को भिजवायी जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)